International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 01, January - March, 2021, pp.368-371

भारत में धर्म निरपेक्षता का यथार्थ आंकलन

डॉ. आभा राठौड़*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पश्चिमी मॉडल में धर्मनिरपेक्षता से आशय ऐसी व्यवस्था से है जहां धर्म एवं राज्यों का एक–दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न हो, व्यक्ति और उसके अधिकारों को महत्व दिया जाए। भारत में प्राचीनकाल से ही विभिन्न विचारधाराओं को स्थान दिया जाता रहा है। यहां धर्म को जिन्दगी जीने का एक तरीका, आचरण संहिता तथा व्यक्ति की सामाजिक पहचान माना जाता रहा है।

भारतीय सन्दर्भ में धर्म निरपेक्षता का मतलब समाज में विभिन्न धर्मिक पंथों एवं मतों का सहअस्तित्व, मूल्यों को बनाये रखने, सभी पंथों का विकास और समृद्ध करने की स्वतंत्रता तथा सभी धर्मों के प्रति एकसमान आदर और सहिष्णुता विकसित करना रहा है।

भारत में 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, इससे पूर्व धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। पंथ निरपेक्षता की अवधारणा संविधान के मूल पाठ का महत्वपूर्ण भाग थी और इसका स्वरूप अप्रत्यक्ष ही था। वैसे संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हैं, जिसकी पुष्टि निम्न बिन्दुओं से होती है :–

- भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
- संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और ना ही किसी धर्म का समर्थन/विरोध किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे। धर्म और जाति के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, नस्ल, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया गया है।

* सह–आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, सांभर लेक, जयपुर, राजस्थान।

- अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एकसमान अवसर प्रदान किये जायेंगे। (कुछ अपवादों के साथ) प्रत्येक नागरिक सरकारी नौकरी में समान पात्र होगा।
- प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक विश्वास व धार्मिक सिद्धान्तों का प्रसार करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 26 में नागरिकों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 27 नागरिकों को विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की स्थापना या पोषण करने की एवज में कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
- अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जायेगी।
- अनुच्छेद 29 में धार्मिक कार्यों हेतु किये जाने वाले व्यय को करमुक्त घोषित किया गया है।
- अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को स्वयं का शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं उन पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा।

इन प्रावधानों के आधार पर स्वतः ही यह प्रश्न उठता है कि भारत में धर्म निरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम सभी यह मानते है कि धर्म सदैव से ही मानव जीवन को नैतिक मूल्यों एवं उच्च आदर्शों की ओर ले जाने वाला साधन रहा है। सभी धर्म अमूनन एक जैसे उपदेश देते रहे हैं। उच्च नैतिक मूल्यों का सभी धर्म समर्थन करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखे तो मध्य युग में कुछ शासको द्वारा धर्म का दुरूपयोग किया गया है। राज्य और धर्म की सांठगांठ जनसामान्य पर अत्याचार का कारण बन गई। औरंगजेब का धार्मिक उन्माद तथा किये गये धार्मिक अत्याचार इतिहास के पन्नों में स्पष्ट परिलक्षित होते है। धर्मगुरूओं ने भी धर्म के माध्यम से अपनी सुख–सुविधा, ऐश्वर्यता की सामग्री जुटा ली और धर्म का स्वरूप भ्रष्ट हो गया। 1857 में विद्रोह के कारणों में एक बड़ा कारण यह भी था कि भारत में ईसाई धर्म को जनता पर जबरन थोपा जाने लगा। इन्हीं कारणों से धर्मनिरपेक्षता की धारणा का उदय हुआ।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में अनूठी अवधारणा है, जिसे भारतीय संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इसके महत्व को निम्न बिन्दुओं से समझना उचित होगा :–

- धर्मनिरपेक्षता समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहित करती है तथा एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार बनाती है।
- एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र होता है तथा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाता है।
- व्यक्ति अपनी पहचान के प्रति अतिसंवेदनशील होता है इसलिए वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हिंसात्मक व्यवहार के खिलाफ राज्य से सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है और यह सुरक्षा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही प्रदान कर सकता है।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिकों के जीवन और सम्पत्ति की भी रक्षा करता है और साथ ही उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने और शैली अपनाने का अधिकार प्रदान करता है।

- धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राजनैतिक दृष्टि से भी सुदृढ़ होते हैं और धर्म की आंधी उनके स्थायित्व को चोट नहीं पहुंचा सकती।

इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक, क्रांतिकारी एवं व्यापक अवधारणा है जो विभिन्नता को मजबूती प्रदान करती है।

प्रायः यह आरोप लगाये जाते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की नकल है। लेकिन संविधान को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है। यह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी तौर पर भिन्न है। इसे हम कुछ बिन्दुओं से अच्छी तरह समझ सकते हैं :–

- पश्चिम की पूर्णतया अलगाववादी, नकारात्मक, धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के विपरीत भारत की धर्मनिरपेक्षता समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संविधानिक मान्यता पर आधारित है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती बल्कि, अंतः धार्मिक समानता पर जोर देती है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक एवं अन्तर धार्मिक वर्चस्व दोनों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। इसने हिन्दुओं के अन्दर दलितों एवं महिलाओं के प्रति उत्पीड़न एवं भारतीय मुसलमानों या ईसाईयों या बहुसंख्यक समाज द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किये जा सकने वाले खतरों का विरोध किया है। जो इसे पश्चिमी धारणा से अलग करता है।
- यदि पश्चिम में कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के लिए कोई निर्देश देती है तो न्यायालय या सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती जबकि भारत में मन्दिरों, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर राज्य व न्यायालय दखल दे सकते हैं।
- एक भिन्नता यह भी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से ही नहीं है बल्कि, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी से भी हैं सभी को अपनी धार्मिक संस्कृति को कायम करने का अधिकार भी दिया गया है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाईश भी होती है और अनुकूलता भी, जो पश्चिम में नहीं मिलती। जैसे अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, बाल–विवाह उन्मूलन, अन्तरजातीय विवाह पर हिन्दू धर्म द्वारा लगाये गये निषेध को खत्म करने हेतु कानून बनाना।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता गांधी की अवधारणा से ज्यादा जुड़ी हुई है, जिसमें धर्मों को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति है ना की धार्मिक कट्टरता की। भारत की धर्मनिरपेक्षता न तो पूरी तरह धर्म से जुडी है और न ही पूरी तरह तटस्थ है। केशवानन्द मामले में न्यायालय ने भी धर्मनिरपेक्षता को भारत की आधारभूत संरचना का हिस्सा माना है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर यह पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर समय–समय पर हमले होते रहे हैं। भारत ने धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित है इस कारण विभिन्न धर्मों द्वारा यह कहा जाता है कि राज्य को सामाजिक सुधारों के नाम पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाती कुछ घटनाएं भी इसके समक्ष चुनौती पेश करती हैं जैसे– 1984 के दंगे, बाबरी मस्जिद विवाद, 1992–93 के मुबंई बम ब्लास्ट, गोधरा कांड, गौहत्या रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले आदि।

कुछ आलोचक धर्मनिरपेक्षता को उत्पीडनकारी मानते है जबकि ऐसा नहीं है इसका स्वरूप तो सदैव ही सुधारवादी रहा है। चूंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान परिभाषित नहीं है इस कारण इसके दुरूपयोग एवं अपरिभाषित करने की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। इसी अर्थ में समय–समय पर धर्मान्तरण शब्द का भी दुरूपयोग और गलत व्याख्या की जाती रही है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि यह न तो धर्मतान्त्रिक है और न ही इसमें किसी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया गया है। जो समानता हासिल करने के लिए परिष्कृत नीति को अपनाता है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार रोकने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक सम्बन्ध भी बना सकता है। तीन तलाक, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश जैसी कार्यवाहियों में यह चरित्र दिखता भी है।

अंततः भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सहिष्णुता से काफी आगे की सोच लिये हुए है। आवश्यकता इस बात की है कि इसे किसी धार्मिक चश्में से नहीं देखा जाये बल्कि, सम्पूर्ण समाज के विकास के परिपेक्ष्य के रूप में परिलक्षित किया जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. समाचार पत्र
2. जनरल ऑफ पोलिटिकल साईन्स।
3. प्रतियोगिता दर्पण

❖◆❖